न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 40 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/42)
पंजीयन दिनांक– 11.02.2021
निर्णय दिनांक– 10.08.2021

1. श्री मगना पिता परथा जाट निवासी सोहनखेडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती देउबाई पुत्री परथा जी पत्नि लखमीचन्द्र जाट, निवासी सोहनखेडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत बागुण्ड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बागुण्ड, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. भूमिधारी तहसीलदार, भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पुनित शर्मा / श्री हनुमान प्रसाद शर्मा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ललित झंवर – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम
1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण
संख्या 01 / 2017 निर्णय दिनांक 15.03.2017

निर्णय

दिनांक 10.08.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या 01 / 2017 निर्णय दिनांक 15.03.2017 के विरूद्ध दिनांक 20.03.2017 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 81 एल. आर. एक्ट के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय

संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 11.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के समक्ष ग्राम पंचायत बागुण्ड द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या–150 निर्णय दिनांक 07.05.1971 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 02.01.2017 को पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सोहनखेडा तहसील भदेसर की जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 में खाता सख्या–50 पर दर्ज आराजी किता 21 रकबा 64 बीघा 11 बिस्वा एवं खतौनी संख्या–51 पर दर्ज आराजी किता 03 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा एवं खतौनी संख्या–52 पर दर्ज आराजी नम्बर 501 रकबा 5 बिस्वा भूमि श्री प्रता उर्फ परथा पिता जैराम के नाम दर्ज थी जिसका विरासत का नामान्तरकरण सिर्फ उसके पुत्र श्री मगना के नाम पर दर्ज किया गया जिसके नम्बर 150 है जबकि श्रीमती देउबाई पुत्री श्री परथा भी उसकी विधिक वारिसान है उक्त जमीन के दो विधिक वारिसान थे परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त तथ्य की बिना जांच एवं गौर किये सिर्फ मगना के नाम पर जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया वह निरस्त योग्य है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 निर्णय दिनांक 15.03.2017 से रेस्पोडेंट संख्या 1 की अपील स्वीकार की जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.03.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:– ***''पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट दोनों भाई–बहन है अर्थात मृतक परथा की संतान है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के अनुसार अनुसूची के अनुसार उक्त दोनों मृतक परथा पिता जेराम के प्रथम श्रेणी के वारिस व उत्तराधिकारी है जिसका रेस्पोडेंट द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में किये गये संशोधन के अनुसार पिता की सम्पत्ति में से पुत्री को पुत्र के समान हिस्सा अधिकार दिये जाने के प्रावधान किये गये है। ग्राम***

पंचायत बागुण्ड द्वारा ग्राम सोहनखेडा के आलौच्य नामांतरकरण पर निर्णय पारित करते समय अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया न ही कब्जे के संदर्भ में कोई जांच पडताल की गई। ग्रामीण पृष्ठ भूमि पर ग्राम पंचायत न्याय का एक सशक्त माध्यम होता है किन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा मृतक परथा के विधिक वारिसान में रेस्पोडेंट नम्बर 1 मगना के साथ अपीलार्थी देउबाई का नाम नही जोडा गया है तथा अकेले रेस्पोडेंट नम्बर 1 मगना के नाम नामांतरकरण निर्णित करने की भूल की गई है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पूर्णरूपेण चस्पा नही होते है। ग्रामीण परिवेश के लोग पडे लिखे नहीं होने से उन्हे कानुन की जानकारी का अभाव प्रायः रहता है कानूनी तकनीकी त्रुटि के कारण किसी पात्र व्यक्ति को उसके हक अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है ऐसा न्यायालय का मत है। अतः प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील भी स्वीकार करने योग्य पायी गई।

उपरोक्त विवेचन एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 107 (1) (क) में प्रदत्त शक्ति के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा मौजा सोहनखेडा के नामांतरकरण संख्या 150 दिनांक 07.05.71 पर पारित ग्राम पंचायत बागुण्ड का निर्णय अपास्त किया जाता है तथा मृतक प्रता उर्फ परथा पिता जेराम की विरासत से रस्पोडेंट संख्या मगना के नाम विरासत से दर्ज मौजा सोहनखेडा की जमाबंदी संवत् 2070–2030 खाता संख्या 50 पर दर्ज आराजी किता 21 कुल रकबा 64 बीघा 11 बिस्वा एवं खाता संख्या 51 में दर्ज आराजी किता 03 कुल रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा एवं खाता संख्या 52 में दर्ज आराजी नम्बर 501 रकबा 05 बिस्वा भूमि में रेस्पोडेंट 1 मगना के साथ अपीलार्थी देउबाई पिता परथा का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, भदेसर को भेजी जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अपीलांट देउबाई पिता परथा का नाम अंकित करते हुए अमल दरामद कराया जावें। अपील प्रस्तुतीकरण में की गई देरी अवधि कन्डोन की जाती है। ''

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा केवियट भी प्रस्तुत की गई थी। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पुनित शर्मा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित झंवर उपस्थित बाद में नजीरे पेश की तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 28.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या–150 निर्णय दिनांक 07.05.1971 के बाबत उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के यहां प्रस्तुत की गई जो करीब 46 वर्ष पश्चात न्यायालय में प्रस्तुत की गई और तत्समय इस बात की रेस्पोडेंट को जानकारी थी कि हिन्दू लॉ में पैतृक संपत्ति में पुत्रीयों को कोई हक व अधिकार निहित नही था इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा तत्कालीन समय में नामांतरकरण अपीलांट के नाम पर खोला गया और जिस समय अपीलांट के पिता परथा की मृत्यु हुई उस समय अपीलांट देउ बाई नाबालिग होकर अपनी माता फुली की विजायत में थी अतः फुली की विजायत में मगना का नाम दर्ज करने की स्वीकृति नामांतरकरण में दी गई और इस बाबत अंकन नामांतरकरण मे दर्ज कर रखा है जिस आधार पर अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया और लगातार सन् 1971 से अपीलांट ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है और वही उसका स्वामी है और कब्जा भी सन् 1971 से लगातार अपीलांट का चला आ रहा है। यह सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद थे तथा नामांतरकरण का इन्द्राज दर्ज था। फिर भी रेस्पोडेंट द्वारा मानते हुए नामांतरकरण की अपील को स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 150 को निरस्त करने में त्रुटि की है और इतना ही नही 46 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात् इस प्रकार की अपील नामांतरकरण बाबत प्रस्तुत की गई उस अपील के साथ जो धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें यह अंकित किया गया कि

दिनांक 30.12.2016 को के.सी.सी. हेतु जमाबंदी की नकल हेतु आवेदन करने पर जानकारी हुई कि परथा के वारीस अकेले रेस्पोडेंट मगना के नाम पर हुई जो केवल मात्र अपील का आधार बनाने की गरज से गलत अंकित किया गया है क्योंकि देउ बाई जो कि अपने ससुराल रण्डीयारड़ी, तहसील कपासन में 50 वर्षो पूर्व से निवास कर रही है और इतना ही नहीं अत्यधिक समय पश्चात् उसको क्यो कर इस म्यूटेशन की जानकारी हुई और 46 वर्षो के दौरान उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही करना अपने आप में ही गमना के स्वामित्व और कब्जे को स्वीकार किया गया था और इतना ही नहीं अपीलांट के पिता का स्वर्गवास भी 52 वर्ष पूर्व हो चुका था और अब क्योंकि देउ बाई के मन में बदनियती आ गई और उसने एक गलत अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर धारा 5 के तहत आधार लिया गया है वह कतई स्वीकार योग्य नहीं है और क्योंकि उसके लिए देउ बाई को नियमित वाद प्रस्तुत कर ही घोषणा के आधार पर ही अधिकार हक तय करा सकती है, न कि नामांतरकण की प्रक्रिया के आधार क्योंकि नामांतरकण की प्रक्रिया जो कि एक फिस्कल प्रोसिडिंग है और इस फिस्कल प्रोसिडिंग के आधार पर देउ बाई अपना हक, अधिकार व स्वत्व तय नही करवा सकी हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर देउ बाई की अपील स्वीकार की है वह पूर्ण रूप से गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण 46 वर्ष पूर्व खोला गया और उस प्रोसिडिंग में देउ बाई पक्षकार नही थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में जो नामांतरकरण की अपील प्रस्तुत की गई उसके संबंध में देउ बाई द्वारा धारा 96 जा. दी. के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया ऐसी स्थिति में अपील प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा जो धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और उस प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में त्रुटि की है क्योंकि नामांतरकरण 46 वर्ष पूर्व पारित हुआ था और जिस समय नामांतरकरण तस्दीक हुआ उस समय स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 1 के कथनानुसार वह नाबालिग थी और उस समय उसकी माता भी जीवित थी तो जब पिता की मृत्यु हुई उसके पश्चात देउ बाई जो बालिग होने के एक माह के भीतर–भीतर नामांतरकण को चुनौती दे सकती थी इसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय

में धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का स्पष्ट जवाब अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उस जवाब पर भी किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया और बिना किसी आधार के 46 वर्ष की लम्बी अवधि को विवेचन करने में त्रुटि की है और उसके संबंध में किसी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेज एवं आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं होते हुए देरी कण्डोन को माफ किया है वह पूर्ण रूप से विधिक सिद्वांत के विपरीत है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा जो नामांतरकरण की अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की उसके संबंध में किसी प्रकार का सजरा प्रस्तुत नहीं किया गया और कही पर भी देउ बाई ने अपने आपको यह साबित नहीं कराया कि वह परथा जी की पुत्री है और इस तरह के जटिल तथ्य जो कि अधीनस्थ न्यायालय की नामांतरकरण की अपील से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित कर दिये गये जो कि नियमित वाद से ही संभव था ऐसी स्थिति में नियमित वाद के बिना नामांतरकरण की कार्यवाही को अत्यधिक लम्बी अवधि के पश्चात अपील से स्वीकार करने में त्रुटि की है। इतना ही नहीं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया वह निर्णय दिनांक 15.03.2017 को पारित किया और जिसके नामांतरकरण की कार्यवाही किस तरह से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई उसका उल्लेख न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है और केवल मात्र 5 दिन के अंदर–अंदर जमाबंदी में अमल–दरामद किया गया जो इस बात को प्रमाणित करता है कि किस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा एक गलत प्रक्रिया अपनाकर और अपील की मयाद के पूर्व ही दर्ज करने में भूल की है। दिनांक 20.03.2017 को रेस्पोडेंट संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा दिया गया है उसे हटाया जाकर पुनः वादग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम दर्ज कराये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः R. R.T. 2015 (1) Page 168, R. R. T. 2019 (2) Page 1176, 1125 R. R. T. 2021 (1) Page 391 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा आदेश दिनांक 10.08.2021 को लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जिसमें भी यह वर्णित किया गया कि अपील 46 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है एवं तत्समय हिन्दू लॉ में पैतृक सम्पत्तियों में

पुत्रियों का कोई अधिकार निहित नहीं था, इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट के नाम नामान्तकरण खोला गया और जिस समय अपीलाण्ट के पिता परथा की मृत्यु हुई, उस समय देउबाई नाबालिग होकर अपील माता फुली के विजायत में थी। अतः फुली की विजायत में मगना का नाम दर्ज करने की स्वीकृति नामान्तकरण में दी गयी और इस बाबत् अंकन नामान्तरण में दर्ज कर रखा है जिस आधार पर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया और सन् 1971 से वही भूमि पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने 46 वर्ष की लम्बी अवधि को कण्डोन करने का निर्णय त्रुटिपूर्ण किया है जबकि नामान्तकरण कण्डोन किये जाने के लिए कोई विधिक आधार नहीं था। देउबाई 50 वर्षों से अपने ससुराल में निवास कर रही है तथा 46 वर्षों के दौरान उसने इस पर कोई भी आपत्ति नहीं की। अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु को भी 52 वर्ष पूर्व हो गये हैं तथा देउबाई के मन में बदनियति आ गयी है। देउबाई नियमित वाद से ही अपने अधिकार तय करने करा सकती है। नामान्तकरण फिस्कल प्रोसिडिंग है। अपीलाण्ट द्वारा धारा 96 जा.दी. का आवेदन भी पेश नहीं किया। मियाद बिना उचित आधार कण्डोन की गई है। देउबाई ने स्वयं को पुत्री होना साबित नहीं करवाया है। अपीलाण्ट ने लिखित बहस के साथ न्यायिक नजीरें भी प्रस्तुत की है जिसका भी हम विवेचन पृथक से करेंगे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2017 नियमानुसार होकर उचित है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः R. J.T. 2016 (3) Page 1544, R. R. T. 2013 (1) Page 473, R. R. T. 2013 (2) Page 766, A.R.D. 1987 Page 140, R. R. T. 2012 (1) Page 711, A.R.D. 1987 Page 319 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2017 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अब हम अपील में उभय पक्षों द्वारा किये गये लिखित एवं मौखिक अभिकथनों, पत्रावली के रेकर्ड व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी के यहां जिस नामान्तकरण संख्या 150 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई, उसमें मृतक परथा की विरासत को पंचायत ने दिनांक 07.05.71 को स्वीकृत की है एवं उसमें अंकित किया है कि परथा फोत हो गया है तो उसके एक लड़का मगना नाबालिग मौजूद है। अपील माता फुली भी विजायत में है, अतः फुली की विजायत में मगना का नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। यह तथ्यपूर्ण है कि नामान्तरण संख्या 150 निर्णय दिनांक 07.05.71 की अपील वर्ष 2017 में हुई है।

हम इस प्रकरण में अब अपीलाण्ट द्वारा दिये गये अपील उजरातों के आधार पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट का सर्वप्रथम उज्र मियाद को लेकर है तथा उसका मियाद बाबत् यह कथन रहा है कि विवादित नामान्तकरण की अपील करीब 46 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है तथा जो आधार दिये गये हैं, वे उचित नहीं है। हम यह पाते हैं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में किसी भी हिन्दू के मरने पर प्रथम अनुसूची में उसके पुत्र, पुत्री एवं विधवा तथा माता उसके उत्तराधिकारी होते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में सिर्फ पुत्र को ही उत्तराधिकार दिया गया है एवं पुत्री को वांचित किया गया अर्थात् विधि के विरूद्ध उत्तराधिकार दिया गया है एवं अविधिक आदेशों में मियाद गौण होती है। जब विधि के व्यक्त प्रावधानों के विपरीत यदि कोई उत्तराधिकार ग्राम पंचायत द्वारा निर्णीत किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में मियाद गौण होती है। अपीलाण्ट के दावे को इस निर्णय की पूर्व जानकारी होने बाबत् अपीलाण्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपीलाण्ट द्वारा अपने ससुसाल रहती है तो इससे यह निहितार्थ नहीं निकाला जा सकता कि उसकी शादी हो जाने से वह पिता के उत्तराधिकार से वंचित हो जाये। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में व्यक्त मियाद के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं एवं विधिविरूद्ध आदेश के विरूद्ध अपील कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है, के सर्वमान्य

न्यायिक सिद्धान्तों के आधार पर अपील को अंदर मियाद मानना उचित समझते हैं। इस बाबत् अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी नजीर आर.आर.टी. 2021(1) पेज 391 के तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते क्योंकि उस प्रकरण में जेतराम के भाईयों को नामान्तकरण की पूर्व जानकारी होने के तथ्य उपलब्ध थे। अपीलाण्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर 2010(2) पेज 801 विलम्ब बाबत् प्रस्तुत की है, जिसमें विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण नहीं होने पर विलम्ब क्षमन नहीं किये जाने का निर्णय किया गया है। यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती क्योंकि यह निर्णय प्रथम दृष्टया ही विधिविरूद्ध है एवं विधि के व्यक्त प्रावधान एवं महिलाओं के अधिकारों के व्यक्त प्रावधानों के विरूद्ध कार्यवाही होने से इस प्रकरण में मियाद महत्वपूर्ण नहीं होती। इसके विरूद्ध रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा न्यायिक नजीर 2013(1) आर.आर.टी. पेज 473 प्रस्तुत की है जिसमें 34 वर्षों की मियाद को क्षमन किये जाने का निर्णय किया गया क्योंकि नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अप्रार्थीगण को नोटिस नहीं दिये गये। यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती है। उपरोक्तानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में मियाद पर किये गये निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अपीलाण्ट का द्वितीय प्रमुख उज्र यह है कि रेस्पोंडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से अपील प्रस्तुत करते समय अनुज्ञा प्राप्त नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा इस आशय का कोई उज्र प्रस्तुत किये जाने की साक्ष्य नहीं है एवं जब अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा इस आशय का कोई उज्र ही पेश नहीं किया, सिर्फ मियाद पर ही अपना जबाब प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय जब अपीलाण्ट (अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट को) को हितबद्ध पक्षकार मान लिया गया है तो अपील में इस बिन्दु पर विवाद किये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतएवं यह उज्र महत्वपूर्ण नहीं रहता। रेस्पोंडेण्ट द्वारा इस बाबत् न्यायिक नजीर आर.जे. टी. 2016 पेज 1544 प्रस्तुत की है तथा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने को महत्व दिये जाने का कथन का निर्णय पारित किया है। तद्नुसार अपीलाण्ट का यह उज्र कि अधीनस्थ न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, उचित नहीं है क्योंकि उसने अधीनस्थ न्यायालय में इस

आशय का कोई आधार नहीं लिया था एवं स्पष्टतः अपीलाण्ट मृतक की पुत्री होने एवं प्रकरण से संबंधित होना सुस्पष्ट है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि रेस्पोंडेण्ट देउबाई का पुत्री होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट का यह तथ्य भी उचित नहीं है क्योंकि वह मियाद के जबाब में स्वयं यह कहता है कि अपीलाण्ट बराबर गांव में बहन बेटी के रूप में आती जाती रही है। अपील मेमो में भी क्रम संख्या 6 पर वह यह कहता है कि जिस समय नामान्तकरण तस्दीक किया हुआ उस समय अपीलाण्ट स्वयं नाबालिग था और रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 भी उस समय नाबालिग ही होगी, तो अपीलाण्ट रेस्पोंडेण्ट देउबाई को उसकी बहिन होने को नकारने का कोई तर्कपूर्ण आधार एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है, तद्नुसार अपीलाण्ट को उसकी बहिन नहीं माने जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

अपीलाण्ट ने अन्य उज्र यह लिया है कि नामान्तकरण फिस्कल प्रोसीडिंग है जिसके आधार पर कोई हक, अधिकार तय नहीं होते, अतएवं नामान्तरण को निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा इस तथ्य को लेकर न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1125 प्रस्तुत की है परन्तु वह प्रकरण गोद पुत्र से संबंधित है, यहां स्वयं मृतक की पुत्री से संबंधित प्रकरण है, अतएवं यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती। इसके विरूद्ध रेस्पोंडेण्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2013(2) पेज 766 प्रस्तुत की है जिसमें यह वर्णित किया गया कि निर्णय पुत्री के नाम नामान्तरण तस्दीक किया, पुत्री को अधिकार नहीं दिया, सभी विधिक वारीसान भूमि में हकदार है। जब तक कि हिस्सा छोड़ नहीं दिया जावें एवं नामान्तरण को विधि प्रतिकूल बताया, तद्नुसार नामान्तरण फिस्कल प्रोसीडिंग होने के बावजूद उसकी अपील प्रस्तुत की जा सकती है एवं विधिक वारीसान को उनके हक दिया जाना उचित है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि उसे खातेदारी मिले 12 वर्ष से अधिक की अवधि पूरी हो चुकी है। अपीलाण्ट का यह उज्र भी मान्य नहीं है क्योंकि एडवर्स पजेशन का यह प्रकरण नहीं है तथा किसी विधिक वारीसान को उसके हक से वंचित किया गया है, अतएवं यह तर्क इस प्रकरण में लागू नहीं होता।

अपीलाण्ट का यह मत कि तत्समय विधि में पुत्रियों का कोई अधिकार निहित नहीं था, यह मान्य नहीं है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से ही प्रभावी में है।

उपरोक्त समस्त अपील उजरात पर विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक विवेचन के साथ अपना निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि हम नहीं पाते। अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर